जीविका
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

JEEVIKA

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार

बिहार सरकार

तृतीय तल, विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800 021, दूरभाष: +91–612–250 4980, फैक्स: +91–612–250 4960, वेबसाइट: www.brlps.in

पत्रांक :- BRLPS/Misc/03/13/ 5013 दिनांक :- 08.12.2022

कार्यालय आदेश

चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय द्वारा जीविका के माध्यम से कराये जा रहे सर्वेक्षण के सम्बन्ध में

मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा राज्य में मद्यनिषेध नीति का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का सर्वेक्षण चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के माध्यम से कराया जा रहा है। सर्वेक्षण कार्य में सहयोग करने हेतु जीविका एवं चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पटना के बीच एकरारनामा किया गया। इसके अंतर्गत सर्वेक्षण कार्य जीविका के सामुदायिक संगठनों/कैडरों द्वारा राज्य के दस लाख घरों में किया जायेगा। इस दिशा में सर्वेक्षण हेतु जीविका द्वारा एक मोबाइल आधारित एप्प (Mobile Based App) विकसित किया गया, जिसका उपयोग सर्वेक्षण में किया जाना है। प्रखंड परियोजना क्रियावयन इकाई (BPIU) द्वारा सम्बंधित बुक कीपर/कैडर को मोबाइल एप्प पर प्रशिक्षित किया जा चुका है। उपरोक्त सर्वेक्षण में चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय को अपेक्षित सहयोग करने एवं इसे ससमय पूरा करने हेतु दिशा-निर्देश निम्नवत है :-

1. सर्वेक्षण में पुरुष और महिला का अनुपात समान होगा। सर्वेक्षण में 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को ही शामिल किया जाएगा।
2. प्रखंड परियोजना प्रबंधक, जीविका सर्वेक्षण हेतु ग्राम संगठनों का चयन इस प्रकार करेंगे ताकि राज्य के सभी गाँव सर्वेक्षण से अच्छादित हो जाय।
3. प्रत्येक गाँव से 20 लोगों (10 महिला एवं 10 पुरुष) को सम्मलित करते हुए सर्वेक्षण को पूर्ण किया जाय।
4. ग्राम संगठन के बुक कीपर सर्वेक्षण का कार्य करेंगें जो अपने सभी ग्राम संगठनों में प्रतिदिन एक VO के हिसाब से कार्य करेगें। आवश्यक होने पर अन्य कैडर से भी कार्य लिया जा सकता है।
5. इस कार्य का पर्वेक्षण संबंधित CF/MBK द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ CF/MBK पर्वेक्षण के दौरान मद्य-निषेध विभाग से प्राप्त पोस्टर को प्रत्येक ग्राम के सार्वजनिक स्थलों पर लगवाना सुनिश्चित करेगें। पोस्टर लगने के उपरान्त CF/MBK द्वारा उसका फोटो मोबाइल एप्प के माध्यम से अपलोड किया जाय।
6. प्रखंड परियोजना प्रबंधक, जीविका द्वारा सर्वेक्षण कार्य दिनांक 15.12.2022 तक पूरा करना सुनिश्चित किया जायेगा ।
7. व्यय एवं बजट संबंधित विवरण :-

क्रम स०	कार्य विवरण	यूनिट दर
1.	सर्वेक्षकों का प्रशिक्षण (BPIU कार्यालय में आधा दिन)	सर्वेक्षको का TA/DA कैडर मार्गदर्शिका एवं वास्तविक खर्च के अनुरूप देय
2.	सर्वेक्षण कार्य हेतु	प्रति घर 15/- रु० की दर से सर्वेक्षक को देय
3.	CF/MBK द्वारा पर्वेक्षण	गुणवत्तापूर्वक सर्वेक्षण हेतु प्रति ग्राम संगठन 100 रु०

8. सर्वेक्षण में होनेवाला व्यय की प्रविष्टि बजट शीर्ष NRLM मद में दर्ज किया जायेगा।

9. सर्वेक्षण की समाप्ति के 15 दिनों के अन्दर कैडर तथा सर्वेक्षकों के मानदेय एवं अन्य भत्तो का भुगतान सुनिश्चित किया जाय। तत्पश्चात जिला ईकाई द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र राज्य इकाई को जमा करना सुनिश्चित किया जाय।
10. सभी जिला परियोजना प्रबंधक उपरोक्त निदेशो का अनुपालन करते हुए सर्वेक्षण कार्य को ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगें।
11. सर्वेक्षण कार्य में जिला स्तर पर प्रबंधक-सामाजिक विकास एवं प्रबंधक-मुल्यांकन एवं अनुश्रवन तथा राज्य स्तर पर श्री पंकज कुमार सिंह, परियोजना प्रबंधक-मुल्यांकन एवं अनुश्रवन इसके नोडल पदाधिकारी होंगे। जीविका MIS टीम सर्वेक्षण के दौरान मोबाइल आधारित एप्प सम्बंधित अपेक्षित तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगें।

(राहुल कुमार)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-
राज्य मिशन निदेशक

ज्ञापांक: BRLPS/Misc/03/13/5013 पटना, दिनांक: 08.12.2022

1. अपर मुख्य सचिव, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग एवं सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार को सादर सूचनार्थ।
2. संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पटना को सादर सूचनार्थ।

(राहुल कुमार)

ज्ञापांक: BRLPS/Misc/03/13/5013 पटना, दिनांक: 08.12.2022

1. सभी जिला परियोजना प्रबंधक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. राज्य स्तरीय सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ।
3. सम्बंधित संचिका एवं आई0टी0 अनुभाग।

(राहुल कुमार)